महालेखाकार (ले व ह) केरल का कार्यालय, तिरुवनन्तपुरम-695 001

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E), KERALA, THIRUVANANTHAPURAM - 695 001

सत्यमेव जयते

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

P19/IV/DRSSA-31/2020-2021/ 1178 Date 12.11.2020

To

All District/Sub Treasury Officer/Banks

Sir,

Sub: Payment of Arrears of revised pension/ family pension for the period 01.01.2016 to 31.10.2018 to the pensioners/ family pensioners of Government of Uttarakhand, who retired before 01.01.2016 in continuation of recommendation of 7th Pay Commission – reg.

Ref: 1. O.M. No. 354/XXVII (10)/27(08)/2017 dated 10.12.2019 of government of Uttarakhand, Finance (G.R.-P.C.) Section-7

2. SSA No P.A./Pension/2020-21/1396 dated 29.09.2020 received from the Office of the Accountant General (A&E), Uttarakhand

I am to enclose herewith the copy of the SSA received from the Office of the Accountant General (A&E), Uttarakhand regarding payment of Arrears of revised pension/ family pension for the period 01.01.2016 to 31.10.2018 to the pensioners/ family pensioners of Government of Uttarakhand, who retired before 01.01.2016 in continuation of recommendation of 7th Pay Commission. The same is being placed in the official website of this office, www.agker.cag.gov.in under the link "Treasury Endorsement of Orders for other state Pensioners". A copy of this letter may be exhibited on the notice board of the treasuries.

Yours faithfully

24/11/2020

Senior Accounts Officer

Copy to

1. The Director of Treasuries
Thiruvananthapuram

2. The Office of the Accountant General (A&E)
Uttarakhand, Mahalekhakar Bhawan,
Kaulagarh, Dehradoon, Pin – 248195
(For Information)

-Sd-

Senior Accounts Officer

P19/IV/DRSSA/31
02/11/2020

P19 150350 23/10/20

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक०) उत्तराखण्ड,

(महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून-248195)
फोन न०: 0135-2643684, फैक्स न०: 0135- 2643683

पत्रांक-पी.ए./पेंशन/महंगाई राहत/उत्तराखण्ड/~~2018-2019~~ 20-21/ 1396

दिनांक- 29-9-20

सेवा में,

	कार्यालय का नाम	राज्य	राजधानी	पिन कोड
1.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	गुजरात,	अहमदाबाद	380009
2.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	मेघालय,	शिलोंग	793001
3.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	आसाम,	गौहाटी	781029
4.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	झारखण्ड,	रांची	834002
5.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	बिहार,	पटना	800001
6.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	केरल,	तिरुवनंतपुरम	695039
7.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	मध्यप्रदेश,	ग्वालियर	474002
8.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	तमिलनाडु,	चेन्नई	600018
9.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	महाराष्ट्र,	मुंम्बई	400020
10.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-II	महाराष्ट्र,	नागपुर	440001
11.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	कर्नाटक,	बेंगलुरु	560001
12.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	उडीशा,	भुवनेश्वर	751001
13.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	पंजाब,	चंडीगढ़	160017
14.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	हरियाणा,	चंडीगढ	160047
15.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	हिमाचल प्रेदश,	शिमला	171003
16.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	राजस्थान,	जयपुर	302005
17.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)II	उत्तर प्रदेश,	इलाहाबाद	211001
18.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	पश्चिम बंगाल,	कोलकता	700001
19.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	जम्मू कश्मीर,	श्रीनगर	190009
20.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	मणिपुर,	इम्फाल	795001
21.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	त्रिपुरा,	अगरतला	799006
22.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	नागालैंड,	कोहिमा	797001
23.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	छत्तीसगढ़,	रायपुर	492111
24.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	मिजोरम,	आईजोल	796001
25.	वरिष्ठ उप-महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	सिक्किम,	गंगटोक	737102
26.	वेतन एवं लेखा अधिकारी-V, पेंशन, तीस हजारी, नई दिल्ली,	नई दिल्ली	-	110124
27.	निदेशक, लेखा एवं कोषागार, गोवा सरकार,	गोवा,	पणजी	403101
28.	निदेशक, लेखा एवं खजाना, (सघ क्षेत्र)	पोंडीचेरी	पोंडीचेरी	605001
29.	निदेशक, लेखा परीक्षा एवं पेंशन	अरुणाचल प्रदेश,	नाहरलागन	791110
30.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	आंध्रप्रदेश,	हैदराबाद	500004
31	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	तेलंगाना	हैदराबाद	500004

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक0)उत्तराखण्ड,देहरादून
(महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून—248195)
फोन नं0: 0135—2970866,297086, फैक्स नं0:0135—2970859,

" विशेष मुद्रा प्राधिकार पत्र "

पत्रांक: पी0ए0 / पेंशन / 2020—21 1346 दिनांक: 29-9-20

सेवा

सभी प्रधान महालेखाकार/महालेखाकार (;ले. एवं ह.) कार्यालय

विषय- सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में दिनांक 01/01/2016 से पूर्व के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01/01/2016 से 31/10/2018 तक के एरियर के भुगतान के सम्बन्ध में ।

संलग्न संदर्भ:- (1) सचिव उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुमान 10 संख्या 383/2019/xxvii (10)/27(08)/2017 दिनांक 10/12/2019

महोदय

वित्त अनुभाग उत्तराखंड शासन द्वारा जारी उपरोक्त संदर्भित शासनादेश की प्रतियां संलग्न कर प्रेषित की जा रही हैं | आपसे अनुरोध है कि उक्त आदेश अपने अधीनस्थ समस्त कोषाधिकारियों/पेंशन भुगतान अधिकारियों को प्रसारित कर नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें तथा कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को भी अवगत कराएं |

सलंग्नक – यथोपरि ।

भवदीय

(हस्ताक्षर) 29/09/20
वरिष्ठ लेखाधिकारी/पेंशन

(10)

संख्या : 333 /2019/XXVII(10)/27(08)/201

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी
सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1–समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
3–समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग–10 देहरादून : दिनांक:10, दिसम्बर, 2019

विषयः–सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में दिनांक 01–01–2016 से पूर्व के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से 31.10.2018 तक के एरियर के भुगतान के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक केन्द्र सरकार के पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या–38/37/2016–P&PW(A) दिनांक 12.05.2017 के कम में निर्गत शासनादेश सख्या–205/XXVII(10)/2018–27(8)/2017 दिनांक 15 अक्टूबर, 2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से दिनांक 01.01.2016 से पूर्व के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से पुनरीक्षित वेतन के आधार पर पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन का भुगतान दिनांक 01.11.2018 से अनुमन्य किया गया है।

2– शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में उक्त शासनादेश दिनांक 15 अक्टूबर, 2018 के प्रस्तर–6 में आंशिक संशोधन करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 01.01.2016 से पूर्व के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को दिनांक 01.11.2018 के स्थान पर दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन का लाभ वास्तविक रूप से अनुमन्य किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3– उक्तानुसार अवशेष धनराशि का भुगतान दो समान किश्तों में वित्तीय वर्ष 2020–21 एवं वित्तीय वर्ष 2021–22 में किया जायेगा।

4– उक्त शासनादेश की अन्य शर्तें यथावत् लागू रहेंगी।

कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

DR-19
21-9-20

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E), UTTARAKHAND,
(MAHALEKHAKAR BHAWAN, KAULAGARH, DEHRADUN-248195)

Phone No. 0135- 2970866, 297086 Fax No. 0135- 2970859

"SPECIAL SEAL AUTHORITY LETTER"

Letter No. P.A./Pension/2020-21 Dated 29.09.2020

To

All Prl Accountants General/Accountants General, (A&E) Office

Sub : Payment of arrears of revised pension/family pension from 01/01/2016 to 31/10/2018 to Pre-01/01/2016 pensioners/family pensioners, in continuation to the recommendations of Seventh Pay Commission - reg.

Ref : Secretary, Government of Uttarakhand, Finance Section 10 No. 383/2019/xxvii (10)/ 27(08)/2017 dated 10/12/2019.

Sir,

Copies of the above referred Government Order issued by the Finance Section, Government of Uttarakhand, are being sent enclosed herewith. You are requested to circulate the above orders to all the Treasury Officers/Pension Payment Officers under your jurisdiction and kindly direct them to take necessary action as per rules and the action taken may be intimated to this office also.

Encl.: As above

Yours faithfully
Sd/-
Sr Accounts Officer/Pension

No. 383/2019/xxvii (10)/ 27(08)/2017

From

Amit Singh Negi
Secretary,
Government of Uttarakhand

To

1. All Addl Chief Secretaries, Prl Secretaries/Secretaries, Secretaries In-charge, Government of Uttarakhand.
2. All Head of Departments/Heads of Offices, Uttarakhand

Finance Section-10 Deharadun, Dated 10th December, 2019

Sub : Payment of arrears of revised pension/family pension from 01.01.2016 to 31.10.2018 to Pre-01.01.2016 pensioners/family pensioners, in continuation to the recommendations of Seventh Pay Commission - reg.

Sir/Madam,

On the above cited subject, kindly refer to Government Order No. 205/XXVII(10)/ 2018-27(8) 2017 dated 15th October, 2018 issued in continuation to Office Memorandum No. 38/37/2016-P&PWA dated 12.05.2017 of the Department of Pension & Pensioners' Welfare, Ministry of Personnel, Public Grievances & Pension of the Central Government, through which the revision of pension of Pre-01.01.2016 pensioners/family pensioners was done and payment of pension/family pension revised on the basis of the pay notionally revised on 01.01.2016 has been allowed from 01.11.2018.

2. In continuation to the decision taken by the Government after due consideration, in partial modification to Para-6 of above cited Government Order dated 15th October, 2018, I am directed to say that sanction is accorded to allow the actual benefit of revised pension/family pension to Pre-01.01.2016 pensioners/family pensioners from 01.01.2016 in place of 01.11.2018.

3. As cited above, payment of arrear amount shall be made in two equal instalments in the financial year 2020-21 and financial year 2021-22.

4. Other conditions of the above Government Order shall remain unchanged.

Kindly ensure necessary action as mentioned above.

Yours faithfully,
/
Amit Singh Negi
Secretary